


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(1)शिक्षा-2/सीएमओ स्था-ओएसडी(एस)/2016 जयपुर दिनांक 04/10/2017 की पालना में निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर इनके गम्भीर बिमारी से पीड़ित/पूर्ण नेत्रहीन होने के कारण तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता	विषय	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	संशोधित पदस्थापन स्थान (राउमावि)
1	फूलसिंह	अंग्रेजी	राउमावि मतोड़ा, ओसिया, जोधपुर	राउमावि नापासर, बीकानेर
2	कालूराम शर्मा	संस्कृत	राउमावि बन्जारी, छीपाबड़ोद, बारां	राउमावि बालेटा, उमरैण, अलवर
3	श्यामदेव बिश्नोई	राजनीति विज्ञान	राउमावि आंसिया, सामराउ, ओसिया, जोधपुर	राउमावि चैनपुरा, मण्डोर, जोधपुर

संबंधित संस्था प्रधान इन्हें तत्काल संशोधित पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करें।


(नथमल डिडेल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


दिनांक - 05-10-2017

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-8/पदस्थापन-संशोधन/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रा., मा. शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि/बाउमावि को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

✓ ई-सिस्टम ऑनलाइन, कम्प्यूटर अनुमोद ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर